धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-अक्टूबर,नवम्बर,दिसम्बर,2021
स्थापना आदेश,परिपत्र,निविदा फॉर्म आदि

कुल - 73 [स्थापना आदेश-63, परिपत्र -8, निविदा -2] 63+8+2 =73

स्थापना आदेश- सं.69 से 132 तक कुल सं.- 64-1 = 63

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई
1	आदेश सं-69/2021	08.10.2021	अनुवाद किया गया
2	आदेश सं-70/2021	05.10.2021	अनुवाद किया गया
	71 - पिछली तिमाही में जारी किया गया		अनुवाद किया गया
3	आदेश सं-72/2021	28.09.2021	अनुवाद किया गया
4	आदेश सं-73/2021	28.09.2021	अनुवाद किया गया
	आदेश सं-73/2021 -शुदधि पत्र	01.10.2021	अनुवाद किया गया
5	आदेश सं-74/2021	07.10.2021	अनुवाद किया गया
6	आदेश सं-75/2021	07.10.2021	अनुवाद किया गया
7	आदेश सं-76/2021	07.10.2021	अनुवाद किया गया
8	आदेश सं-77/2021	11.10.2021	अनुवाद किया गया
9	आदेश सं-78/2021	12.10.2021	अनुवाद किया गया
10	आदेश सं-79/2021	12.10.2021	अनुवाद किया गया
11	आदेश सं-80/2021	20.10.2021	अनुवाद किया गया
12	आदेश सं-81/2021	20.10.2021	अनुवाद किया गया
13	आदेश सं-82/2021	20.10.2021	अनुवाद किया गया
14	आदेश सं-83/2021	20.10.2021	अनुवाद किया गया
15	आदेश सं-84/2021	20.10.2021	अनुवाद किया गया
16	आदेश सं-85/2021	22.10.2021	अनुवाद किया गया
17	आदेश सं-86/2021	22.10.2021	अनुवाद किया गया
18	आदेश सं-87/2021	22.10.2021	अनुवाद किया गया
19	आदेश सं-88/2021	25.10.2021	अनुवाद किया गया
20	आदेश सं-89/2021	29.10.2021	अनुवाद किया गया
21	आदेश सं-90/2021	01.11.2021	अनुवाद किया गया
22	आदेश सं-91/2021	05.11.2021	अनुवाद किया गया
23	आदेश सं-92/2021	03.11.2021	अनुवाद किया गया
24	आदेश सं-93/2021	13.11.2021	अनुवाद किया गया
25	आदेश सं-94/2021	15.11.2021	अनुवाद किया गया
26	आदेश सं-95/2021	15.11.2021	अनुवाद किया गया
27	आदेश सं-96/2021	15.11.2021	अनुवाद किया गया
28	आदेश सं-97/2021	17.11.2021	अनुवाद किया गया
29	आदेश सं-98/2021	18.11.2021	अनुवाद किया गया
30	आदेश सं-99/2021	22.11.2021	अनुवाद किया गया
31	आदेश सं-100/2021	24.11.2021	अनुवाद किया गया
32	आदेश सं-101/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
33	आदेश सं-102/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
34	आदेश सं-103/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
35	आदेश सं-104/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
36	आदेश सं-105/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
37	आदेश सं-106/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
38	आदेश सं-107/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
39	आदेश सं-108/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
40	आदेश सं-109/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
41	आदेश सं-110/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
42	आदेश सं-111/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
43	आदेश सं-112/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया

44	आदेश सं-113/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
45	आदेश सं-114/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
46	आदेश सं-115/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
47	आदेश सं-116/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
48	आदेश सं-117/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
49	आदेश सं-118/2021	25.11.2021	अनुवाद किया गया
50	आदेश सं-119/2021	26.11.2021	अनुवाद किया गया
51	आदेश सं-120/2021	03.12.2021	अनुवाद किया गया
52	आदेश सं-121/2021	03.12.2021	अनुवाद किया गया
53	आदेश सं-122/2021	03.12.2021	अनुवाद किया गया
54	आदेश सं-123/2021	03.12.2021	अनुवाद किया गया
55	आदेश सं-124/2021	03.12.2021	अनुवाद किया गया
56	आदेश सं-125/2021	07.12.2021	अनुवाद किया गया
57	आदेश सं-126/2021	09.12.2021	अनुवाद किया गया
58	आदेश सं-127/2021	28.12.2021	अनुवाद किया गया
59	आदेश सं-128/2021	28.12.2021	अनुवाद किया गया
60	आदेश सं-129/2021	28.12.2021	अनुवाद किया गया
61	आदेश सं-130/2021	29.12.2021	अनुवाद किया गया
62	आदेश सं-131/2021	29.12.2021	अनुवाद किया गया
63	आदेश सं-132/2021	29.12.2021	अनुवाद किया गया

स्थापना परिपत्र -14/2021,15/2021,16/2021, ../2021,../2021,../2021,../2021,../2021- कुल सं.-8

क्रम सं	स्थापना परिपत्र सं.	दिनांक	कार्रवाई
1	14/2021	05.10.2021	अनुवाद किया गया
2	15/2021	06.10.2021	अनुवाद किया गया
3	16/2021	08.10.2021	अनुवाद किया गया
4	स्थापना परिपत्र (सफाई अभियान और फाइलों/अभिलेखों की छंटाई)	08.10.2021	अनुवाद किया गया
5	स्थापना परिपत्र (अवकाश सूची)	25.11.2021	अनुवाद किया गया
6	स्थापना परिपत्र (वरिष्ठता सूची)	30.11.2021	अनुवाद किया गया
7	कार्यग्रहण रिपोर्ट	09.12.2021	अनुवाद किया गया
8	सतर्कता परिपत्र	06.10.2021	अनुवाद किया गया

निविदा फॉर्म - 2

क्रम सं	निविदा	दिनांक	कार्रवाई
1	कार्यालय स्थान किराये पर लेना	09.11.2021	अनुवाद किया गया
2	पुरानी और अप्रचलित वस्तुओं की बिक्री/निपटान	15.11.2021	अनुवाद किया गया

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/59/2021-Estt. दिनांक: 29.12.2021

आदेश सं. : 132/2021

विषय: निम्न श्रेणी लिपिक के कैडर में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हवलदारों को निम्न श्रेणी लिपिक के कैडर में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित नए वेतन मेट्रिक्स में लेवल -2 में रु.19,900 -63,200 वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	सयोना अगस्टिन	8620	सी सी ओ -सी सी ए
2	श्रीजित के वी	3572	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय
3	राहुल टी राज	8881	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन
4	अखिल थॉमस	9757	डीआरआई, कोच्चि आंचलिक इकाई
5	दीपा के नायर	5985	1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. पदोन्नत अधिकारी दिनांक **01.01.2022** को या उसके बाद और दिनांक **10.01.2022** तक पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा ।

3. नियंत्रण अधिकारियान संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक **14.01.2022** तक भेज देनी चाहिए ।

P. Senthilkumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में
संबधित व्यक्तियां (संबंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है
1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
2. आयुक्त, , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम ।

-560-

3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. अपर महा निदेशक, डीआरआई, कोच्चि आंचलिक इकाई

प्रति :

2. अधीक्षक (सत./ ई डी पी/मु.), हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सी सी पी / तिरुवनंतपुरम

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT दिनांक: 29.12.2021

आदेश सं. : 131/2021

विषय: सहायक उप-निरीक्षक(शस्त्र) के केडर में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हविलदार को भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह ग सहायक उप निरीक्षक(शस्त्र) के रूप में कार्यभार ग्रहण की तारीख से पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	एन पार्वती	1195	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन

2. अधिकारी को दिनांक 10.01.2022 तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा ।

3. अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारी /सम्बंधित अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

P. Senthil Kumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा,कोच्चि/ अपील,कोच्चि

प्रति प्रस्तुत है :

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप / सहायक आयुक्त

2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड / लेखा परीक्षा /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड / लेखा परीक्षा /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
5. अधीक्षक (गोप.सत.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड / लेखा परीक्षा /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स)वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOMII/3/32/2020-Estt दिनांक: 29.12.2021

आदेश सं.:130/2021

विषय: हेड हवलदार के केडर में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हवलदारों को अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय, समूह 'ग' हेड हवलदार के केडर में, वेतन मेट्रिक्स में स्तर -2 में (19,000 -63,200 रुपये) और भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित उच्च पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम(सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय
1	सयोना अगस्टिन	8620	सी सी ओ -सी सी ए
2	श्रीजित के वी	3572	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3	राहुल टी राज	8881	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4	सनित कुमार के टी	9854	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5	अखिल थॉमस	9757	डीआरआई, कोच्चि आंचलिक इकाई
6	दीपा के नायर	5985	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारी दिनांक **01.01.2022** को या उसके बाद **और दिनांक 10.01.2022** तक पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित नियंत्रण अधिकारी / संबन्धित अधिकारी अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक **14.01.2022** तक भेज देनी चाहिए।

P. Senthil Kumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

556

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. अपर महानिदेशक, डीआरआई,कोच्चि आंचलिक इकाई

प्रति :

1. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय/मु.),हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीसीपी/ तिरुवनंतपुरम

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOMII/11/3/2021-Estt दिनांक: 28.12.2021

आदेश सं.:129/2021

विषय :कैंटीन कर्मचारी की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 - Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 - Estt.(C) दिनांक 27.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवानान्थापुरम क्षेत्र के निम्नलिखित कैंटीन कर्मचारियों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से उन की श्रेणी में स्थाई बनाईं गईं हैं : -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/कु.)	श्रेणी	जन्म तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	दिलीश हरिदास पी	हलवाई व कुक	02.04.1988	13.08.2021
2	दिव्या मोल	कैंटीन परिचारक	23.06.1999	13.08.2021

संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. अधीक्षक(सत॰ /ई डी पी/मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

554

GEXCOMII/11/2/2020-Estt

दिनांक: 28.12.2021

आदेश सं.:128/2021

विषय : आशुलिपिक श्रेणी -II की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 - Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 - Estt.(C) दिनांक 27.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित श्रेणी -II आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से उन की श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	स्थाईकरण की तिथि
1	आयुष रे	7000	13.06.2021
2	शिखा मल्होत्रा	7002	14.06.2021

संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

P. Senthil Kumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. अधीक्षक(सत॰ /ई डी पी/मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOMII/11/1/2020-Estt

दिनांक: 28.12.2021

आदेश सं.:127/2021

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 - Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 - Estt.(C) दिनांक 27.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवानान्थापुरम क्षेत्र के निम्नलिखित कर सहयक को उसके नाम के सामने सूचित तारीखों से उस की श्रेणी में स्थाई बनाईं गईं हैं : -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	स्थाईकरण की तिथि
1	दीपक कुमार	6004	22.02.2021

संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

P. Senthil Kumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,अपील,कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. अधीक्षक(सत॰ /ई डी पी/मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

1 NATION TAX MARKET GST

फा.सं.II(25)/38/2020-Estt दिनांक: 09.12.2021

आदेश सं.: 126/2021

विषय : श्री सिबी एंटणी कंडनकरी, अधीक्षक, के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार श्री सिबी एंटणी कंडनकरी, अधीक्षक को सरकारी कर्मचारियों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सभी प्रासंगिक शर्तों पर दिनांक **31.01.2022 अपराह्न** से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से उसके दिनांक 22.10.2021 के पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति देने पर आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि की कृपा है |

2. श्री सिबी एंटणी कंडनकरी, अधीक्षक द्वारा देय सभी राशि, यदि कोई है, नियमानुसार उसके सेवानिवृत्ति लाभ से वसूल किया जाए ।

P. Senthilkumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त(का व सत)

सेवा में
श्रीमती सिबी एंटणी कंडनकरी,
अधीक्षक, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
कोल्लम मंडल
(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2.आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1.उप /सहायक आयुक्त, कोल्लम मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोल्लम मंडल
4. अधीक्षक (ई डी पी) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/35/2021-Estt. दिनांक:07.12.2021

आदेश सं.:125/2021

विषय : कर सहायक के कैडर में तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम - संबन्धित ।

कर सहायक के कैडर में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश इसके साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुम.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	राकेश कुमार मीना	01.07.1993	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2.	निखिल सी बाबु	29.01.1994	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3.	वैशाख विश्वनाथ	16.11.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4.	डेन्नी जॉर्ज	16.03.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
5.	ऐश्वर्या मैथ्यू	27.11.1994	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
6.	निथुला जी.एस.	31.05.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

550-

				आयुक्तालय
7.	विवेक कृष्णा एम.सी.	11.03.1993	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन
8.	सुष्मिता जॉन	09.02.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
9.	रोबिन सिंह	04.04.1994	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
10.	चिन्चु सी	10.06.1991	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
11.	जीजोमोन पी.जे.	23.11.1970	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
12.	पत्तायत्तिल सतीश कुमार	23.04.1977	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
13.	हरिकृष्णन एस.के.	01.02.1994	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
14.	शिखा मौर्या	12.08.1992	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

P Senthil Kumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ लेखा परिक्षा/अपील
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. अधीक्षक((ई डी पी), हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:03.12.2021

स्थपाना आदेश सं.: 124/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री बिश्वजीत दास** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **03.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री बिश्वजीत दास** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री बिश्वजीत दास** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-548-

सेवा में,

श्री बिश्वजीत दास,
गाव-खान्यान, थाना -पांडुआ, जिला -हूगली,
पश्चिम बंगाल - 712147

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:03.12.2021

स्थपाना आदेश सं.: 123/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री संजय प्रदीप** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **01.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री संजय प्रदीप** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री संजय प्रदीप** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-546-

सेवा में,

श्री संजय प्रदीप,

प्रदीपम,चोरक्कुलम, पोदुवाचेरी डाक,कण्णूर ,

केरल - 670621

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:03.12.2021

स्थपाना आदेश सं.: 122/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अतुल एम. दास** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **01.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अतुल एम. दास** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अतुल एम. दास** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

544

सेवा में,

श्री अतुल एम. दास,
स्वरलया हाउस, मानन्तवाडी, वायनाड,
केरल - 670645

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:03.12.2021

स्थपाना आदेश सं.: 121/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री विशाख एस.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **01.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री विशाख एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री विशाख एस.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

542

सेवा में,

श्री विशाख एस.,

दीपम, ऊन्निन्मूडु, एलेकामन डाक, ऐरूर, वर्कला,

तिरुवनंतपुरम, केरल - 695310

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:03.12.2021

स्थपाना आदेश सं.: 120/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अथ्याला मनोज कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **26.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अथ्याला मनोज कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अथ्याला मनोज कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-540-

सेवा में,

श्री अथ्याला मनोज कुमार,
बृन्दावन रेसीडेंसी,
102 षी रामनगर, दूसरी लाइन, गोरंत्ला, गुन्डूर,
आंन्ध्र प्रदेश - 522034

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:26.11.2021

स्थपाना आदेश सं. : 119/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **असूचित जाति श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कुम.शिखा मौर्या** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **26.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **कुम.शिखा मौर्या** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कुम.शिखा मौर्या** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

538

सेवा में,

कुम.शिखा मौर्या,
16/365-ई, बपा नगर,
करोल बाग़,
नई दिल्ली - 110005

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 118/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री हरिकृष्णन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **25.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री हरिकृष्णन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री हरिकृष्णन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

536

सेवा में,

श्री हरिकृष्णन,

श्रेयस, चंताविला, सैनिक विद्यालय डाक, कयाक्कूट्टम,

तिरुवनंतपुरम,केरल - 695585

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

1 NATION TAX MARKET GST

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT **दिनांक:25.11.2021**

स्थपाना आदेश सं.: 117/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्रीमती रानी मरिया जॉन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **23.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्रीमती रानी मरिया जॉन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्रीमती रानी मरिया जॉन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

S34

सेवा में,

श्री हरिकृष्णन,

तट्टाम्परम्बिल, कलतुक्कडवु, तलप्पालम डाक, कोट्टयम

केरल - 696579

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 116/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री श्रीदीप मेनोन वी.पी.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **22.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री श्रीदीप मेनोन वी.पी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री श्रीदीप मेनोन वी.पी.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-532-

सेवा में,

श्री श्रीदीप मेनोन वी.पी.,
कल्याणी कॉन्टिनेंटल गार्डन्स, वट्टियूर्कावु डाक,
तिरुवनंतपुरम
केरल - 695013

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 115/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अभिजीत एस.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **22.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अभिजीत एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अभिजीत एस.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-530-

सेवा में,

श्री अभिजीत एस.,
कियक्के वीडु, टीसी 50/748, आरमडा डाक, तृक्कन्नपुरम,
तिरुवनंतपुरम
केरल - 695032

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 114/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित-श्रवण बाधित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सजित मोहन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री सजित मोहन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री सजित मोहन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

328

सेवा में,

श्री सजित मोहन,

अविट्टम, पथाइक्करा डाक, पेरिन्तलमन्ना, मलप्पुरम,

केरल - 679322

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 113/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री पीयूष चौहान** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री पीयूष चौहान** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री पीयूष चौहान** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-526-

सेवा में,

श्री पीयूष चौहान,
सुपुत्र बी.एस. चौहान, शक्ति नगर, फेस-1, डॉक्टर गंज, विकास नगर,
देहरादून, उत्तराखंड-248198

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

525

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 112/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अशोक कुमार मीना** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अशोक कुमार मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अशोक कुमार मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-524-

सेवा में,

श्री अशोक कुमार मीना,
वी-पडली खुर्द, मातासुला डाक, तहसील-तोडाभीम, जिला -करौली,
राजस्थान - 321611

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 111/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मोहित** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री मोहित** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री मोहित** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

522-

सेवा में,

श्री मोहित,

हाउस नं.572, मातावाली गली, कपाशेरा, नई दिल्ली -110037

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 110/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सुजिन के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री सुजिन के** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री सुजिन के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

520

सेवा में,

श्री सुजिन के,
काराट हाउस, कुरुवाट्टूर, कक्कोडी से कोयिक्कोड,
केरल - 673611

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 109/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री पुनीत चौधरी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री पुनीत चौधरी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री पुनीत चौधरी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री पुनीत चौधरी,
सुपुत्र जगवीर सिंह,
हाउस नं.31, मोह.श्यामपुरी, गुरूद्वारे के पास, नरोरा, बुलंदशहर,
उत्तर प्रदेश - 202389

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 108/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शालमोन एब्रहाम** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री शालमोन एब्रहाम** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री शालमोन एब्रहाम** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

5/16

सेवा में,

श्री शालमोन एब्रहाम,

कैनडत्तुपरम्बिल हाउस, आलूर डाक, आलूर रेलवे ओवर ब्रिज के पास,
कल्लेट्टुमकरा से आलूर, त्रिश्शूर, केरल - 680683

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

515

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 107/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राहुल शंकर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री राहुल शंकर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री राहुल शंकर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-514-

सेवा में,

श्री राहुल शंकर,
एसएमक्यू नं.32/3, एचक्यूएमसी(यू) एएॅफ़, वायुसेनानगर, नागपुर,
महाराष्ट्रा - 440007

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

5137

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 106/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जितिन जोस** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री जितिन जोस** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री जितिन जोस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

512 सेवा में,

श्री जितिन जोस,
एयुपारयिल हाउस, पाला डाक, कोट्टयम
केरल - 686575

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 105/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री प्रशांत कुमार जी.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री प्रशांत कुमार जी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री प्रशांत कुमार जी.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री प्रशांत कुमार जी.,
मेचेरिल साईकृपा, वेल्लूर डाक, पाम्बाडी,कोट्टयम,
केरल - 686501

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 104/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मैथ्यूस जॉर्ज सी.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री मैथ्यूस जॉर्ज सी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री मैथ्यूस जॉर्ज सी.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-508-

सेवा में,

श्री मैथ्यूस जॉर्ज सी.,

चक्कात हाउस, आलूर डाक, आरऍमएचएस विद्यालय के पास,आलूर,

त्रिश्शूर, केरल - 680683

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 103/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री किरण एस.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री किरण एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री किरण एस.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-506-

सेवा में,

श्री किरण एस.,
वृन्दावन,कुयियम चेम्मक्काड डाक, कोल्लम,
केरल - 691601

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 102/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री आषिन एम.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री आषिन एम.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री आषिन एम.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

-504-

सेवा में,

श्री आषिन एम.,

तक्काडीक्कल कलम्बुक्काट्टु कवला, तेक्केत्तुकवला डाक,

पोंकुन्नम,कोट्टयम,

केरल - 686519

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.11.2021

स्थपाना आदेश सं.: 101/2021

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जज़ील एम.सी.** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **18.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री जज़ील एम.सी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री जज़ील एम.सी.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

502

सेवा में,

श्री जज़ील एम.सी.,
तेलक्काड हाउस, ओलमत्तिल, मलप्पुरम,
केरल - 673642

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

-501-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:24.11.2021

स्थपाना आदेश सं. : 100/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री हरिकृष्णन एस.के.** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **24.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री हरिकृष्णन एस.के.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री हरिकृष्णन एस.के.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

500-

सेवा में,

श्री हरिकृष्णन एस.के.,
जे.एस. मन्दिरम,
एडवट्टम, पूतकुलम डाक, कोल्लम,
केरल - 691302

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/3/54/2021-Estt दिनांक:22.11.2021

स्थपाना आदेश सं. : 99/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्रीमती चिन्चु सी.** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **22.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्रीमती चिन्चु सी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्रीमती चिन्चु सी.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

2198-

सेवा में,

श्रीमती चिन्चु सी.,
चंदु भवन, देवी नगर 45,
अम्मच्चीवीडु, कोल्लम,
केरल - 691012

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **दिनांक : 18.11.2021**

आदेश सं.: 98/2021

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या **72/2021** दिनांक **30.09.2021** के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच लिंक अधिकारियों में किए गए निम्नलिखित परिवर्तन का आदेश इस के साथ दिया जाता है।

2. श्रीमती शांति वी., उप आयुक्त के लिए श्रीमती बीना आर., सहायक आयुक्त पहला लिंक अधिकारी होगा, और श्रीमती सी.टी.बिंदु, सहायक आयुक्त उसका दूसरा लिंक अधिकारी होगा |

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्त के बीच कार्य आवंटन / संशोधित लिंक अधिकारी के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	एस.सुरेश	प्रशासन,का.व सत.,सेवोत्तम,निवारक, मु.मुकदमा एवं राजभाषा कार्यान्वयन	सी टी बिंदु	शांती वी
2	शांती वी	तकनीकी, संसद प्रश्न, जी एसटी कक्ष, डीजीएआरएम, आरऍफ़डी, सांख्यिकी एवं सिस्टम्स	बीना आर	सी टी बिंदु
3	बीना आर	विधिक, सूचना अधिकार(सीपीआईओ) एवं प्रशिक्षण	एस.सुरेश	डॉली जोसफ
4	सी टी बिंदु	न्यायनिर्णयन, समीक्षा, बकाया,वसूली, एसवीएलडीआरएस	डॉली जोसफ	बीना आर

5	डॉली जोसफ	मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार के साथ लेखा परीक्षा	बीना आर	एस सुरेश
6	अनिल राज आर	एर्णाकुलम मंडल	महेंदिरा वर्मा आर ए	अजिता पी
7	महेंदिरा वर्मा आर ए	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	अजिता पी
8	अजिता पी	आलुवा मंडल	महेंदिरा वर्मा आर ए	अनिल राज आर
9	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	मनोज कुमार एन	रॉय वर्गीस
10	मनोज कुमार एन	त्रिश्शूर मंडल	माया कुरियन	एन एस जयश्री
11	एन एस जयश्री	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	अजिता पी
12	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल	एन एस जयश्री	महेंदिरा वर्मा आर ए

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:17.11.2021

स्थपाना आदेश सं. : 97/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री वैशाख विश्वनाथ** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **17.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री वैशाख विश्वनाथ** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री वैशाख विश्वनाथ** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-494-

सेवा में,

श्री वैशाख विश्वनाथ,
नाडुविलेडत्तु हाउस, कुनिंजी डाक,
वयित्तला इडुक्की,
तोडुपुया, केरल - 685583

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:15.11.2021

स्थपाना आदेश सं. : 96/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री विवेक कृष्णा एम.सी.** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **15.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री विवेक कृष्णा एम.सी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री विवेक कृष्णा एम.सी.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

492

सेवा में,

श्री विवेक कृष्णा एम.सी.,
टीसी-19-1024-2,मीराविवेक भवन,
तट्टनविला लेन, तमलम,
पूजप्पुरा डाक, तिरुवनंतपुरम,
केरल - 695012

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

-491-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:15.11.2021

स्थपाना आदेश सं. : 95/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री रोबिन सिंह** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **15.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री रोबिन सिंह** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री रोबिन सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-490-

सेवा में,

श्री रोबिन सिंह,
सुपुत्र वीर सिंह,
गाव - पस्वारा,
जिला -मेरठ,
उत्तर प्रदेश - 250106

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt **दिनांक:15.11.2021**

स्थपाना आदेश सं. : 94/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु. सुष्मिता जॉन** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **15.11.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **कु. सुष्मिता जॉन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु. सुष्मिता जॉन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthilkumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-488-

सेवा में,

कु. सुष्मिता जॉन,
पडिन्जारेक्करा हाउस,
नेडियशाला, डाक,
तोडुपुया, इडुक्की,
केरल - 685608

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/13/2021-Estt **दिनांक: 11.11.2021**

आदेश सं.: 93/2021

विषय : आशुलिपिक श्रेणी-1 के कैडर में तैनाती -के कर एवं के उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

आशुलिपिक श्रेणी-1 के कैडर में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्व/कुम.)	जन्म तिथि	...को तैनात	
1	नर्गिष जहान, आशुलिपिक श्रेणी -1	25.11.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	अपर आयुक्त (निवारक) की इकाई, मु.कोच्चि

2. यह आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अपर आयुक्त (निवारक), केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/13/2021-Estt

दिनांक: 03.11.2021

आदेश सं.: 92/2021

विषय : आशुलिपिक श्रेणी-I /II के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक श्रेणी- I /II के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/कुम./श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	अर्चिता मोहन, आशुलिपिक, श्रेणी -I	24.08.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
2	पुनीत, आशुलिपिक, श्रेणी -I	31.07.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
3	के.एम.नरगीश जहान, आशुलिपिक, श्रेणी -I	25.12.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4	ओमकार सिंह, आशुलिपिक, श्रेणी -I	12.08.1997	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय कोचिन
5	दीपा रानी, आशुलिपिक, श्रेणी -I	06.01.1994	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि
6	हब्बी षीबन, आशुलिपिक श्रेणी -II	17.11.1977	कार्यग्रहण करने पर	डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई(सी सीओ-सीसीए से स्थानीय क्रमावर्ती स्थानांतरण आधार पर)

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्तियां

485

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड/तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2020-ESTT **दिनांक : 05.11.2021**

आदेश सं.: 91/2021

विषय : हवलदार एवं हेड हवलदार के कैडर में स्थानांतरण और तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित ।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हवलदार एवं हेड हवलदार के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है|

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान	..को तैनात
1	मुरुगन एम.,हेड हवलदार	3249	वंडीपेरियार रेंज	कोतमंगलम रेंज
2	एम.एल.रवीन्द्रन,हेड हवलदार	3333	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	मुख्यालय कोच्चि
3	चंद्रन पी.एस.,हेड हवलदार	3225	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	कुन्नमकुलम रेंज
4	मैथ्यू के.सी.,हेड हवलदार	4025	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	पेरुम्बावूर मंडल
5	एंटणी सी.सी.,हेड हवलदार	71	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	चालक्कुडी मंडल
6	शिवदासन सी.सी.,हेड हवलदार	4024	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	काक्कनाड मंडल
7	जॉन पॉल रोज़ारियो,हेड हवलदार	3161	काक्कनाड मंडल	मुख्यालय कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का व सत]

-483-

सेवा में

सम्बंधित व्यक्तियां [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियां के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडलों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइलसं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 01.11.2021

आदेश सं.: 90/2021

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / - सहित वेतन बैंड 9,300-34,800रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1.	3453	जैक्सन जोसफ	09.09.1979	तदर्थ आधार पर (स्थानापन्न हैसियत पर)

2. उपर्युक्त अधिकारी अधीक्षक के कैडर में स्थानापन्न हैसियत से तब तक पदोन्नत है जब तक उसके कनिष्ठ अधीक्षक के कैडर में पदोन्नत हो जाता है, उसके बाद उस नव पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न हैसियत से पदोन्नत समझा जाएगा |

3. उपर्युक्त अधिकारी दिनांक तत्काल और कम से कम दिनांक **10.11.2021** तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए | अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे |

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **19.11.2021** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[डॉ. टी.टिजु]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से)

-481-

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्त/ लेखा परीक्षा कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्त/ लेखा परीक्षा कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्त/ लेखा परीक्षा कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

-486-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:29.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 89/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित- भूतपूर्व सेवा श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री पत्तायत्तिल सतीश कुमार** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **29.10.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री पत्तायत्तिल सतीश कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री पत्तायत्तिल सतीश कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

P. Senthil Kumar

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

सेवा में,

श्री पत्तायत्तिल सतीश कुमार,
सुपुत्र के बालकृष्णन नायर,
आतिरा, उदयगिरी, मुल्लक्करा,
मण्णुत्ती डाक, त्रिश्शूर,
केरल - 680651

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

-478-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/3/46/2021-Estt. दिनांक:25.10.2021

स्थपाना आदेश सं.: 88/2021

विषय :- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आशुलिपिक ग्रेड - I के कैडर में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 10.09.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आशुलिपिक ग्रेड - I(अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत चयनित और अनंतिम रूप से सामान्य रिक्ति के विरुद्ध आवंटित) के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/08/2018-Ad.III(B) दिनांक 18.08.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार **श्रीमती दीपा रानी** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 [रु.35,400- रु.1,12,400] में दिनांक **25.10.2021 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्रीमती दीपा रानी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्रीमती दीपा रानी** विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आपकी नियुक्ति केवल अनंतिम/असथाई होगी और अल्पकालिक सूचना पर समाप्त की जा सकती है । नियुक्ति इस मुद्दे पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण निदेशालय (डीओपी एंड टी) के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

(डॉ टी.टिजु)
आयुक्त

-477-

सेवा में,

श्रीमती दीपा रानी
राजकुमार की पत्नी,
353, गली सं.8,
धीरपुर, निरंकारी कॉलोनी,
उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली -110009

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक,मुख्यालय/सतर्कता /तकनीकी अनुभाग, मुख्यालय,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.),मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 22.10.2021

आदेश सं.: 87/2021

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / - सहित वेतन बैंड 9,300-34,800रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	3452	सेंतिलकुमार एम.	14.09.1975	तदर्थ आधार पर
2	4568	जिन्सी एम.पी.	25.05.1983	तदर्थ आधार पर
3	9501	विनया सी.आर.	08.05.1975	तदर्थ आधार पर
4	4038	मेघा आर.	27.05.1984	तदर्थ आधार पर
5	4003	दीपेश जी.	25.04.1984	तदर्थ आधार पर
6	9459	प्रकाशन के.	19.03.1970	तदर्थ आधार पर (स्थानापन्न हैसियत पर)

2. क्रम सं.6 में सूचित अधिकारी अधीक्षक के कैडर में स्थानापन्न हैसियत से तब तक पदोन्नत है जब तक उसके कनिष्ठ अधीक्षक के कैडर में पदोन्नत हो जाता है, उसके बाद उस नव पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न हैसियत से पदोन्नत समझा जाएगा |

3. उपर्युक्त अधिकारी दिनांक तत्काल और कम से कम दिनांक **31.10.2021** तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए | अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे |

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **10.11.2021** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2020-ESTT दिनांक 22.10.2021

आदेश सं.: 86/2021

विषय : हवलदार एवं हेड हवलदार के कैडर में स्थानांतरण और तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार एवं हेड हवलदार के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय	..को तैनात
1	जयप्रकाश एम., हेड हवलदार	1390	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि
2	शिवदासन सी.सी., हेड हवलदार	4024	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
3	वेणुगोपालन के.पी., हेड हवलदार	1235	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
4	प्रदीप ए.आर., हेड हवलदार	3243	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्ची
5	मैथ्यू के.सी., हेड हवलदार	4025	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
6	एंटणी सी.सी. हेड हवलदार	71	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
7	सुरेश पी., हेड हवलदार	1021	(हवाई अड्डा,ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
8	शाशीन्द्रन सी.वी.	5018	(हवाई अड्डा,कण्णूर)	सीमा शुल्क निवारक

	हेड हवलदार		सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि	आयुक्त, कोच्चि
9	राजन के.टी.एम. हेड हवलदार	1244	(हवाई अड्डा,कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि
10	विश्वनाथन पी.सी. हेड हवलदार	8666	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि
11	राधामणी वी. हेड हवलदार	1418	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि
12	राधिका के.पी. हेड हवलदार	1438	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि
13	एंड्रू पॉल एम.जी. हेड हवलदार	3205	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	एसीसी,(यूबी), करिपूर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि
14	अनिल कुमार एम.जी. हेड हवलदार	143	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि	(हवाई अड्डा,ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
15	राहुल टी.राज. हवलदार	8881	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,अपील	(हवाई अड्डा, करिपूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
16	सनितकुमार के.टी. हवलदार	9854	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा, करिपूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
17	के.चंद्रशेखरन हेड हवलदार	3015	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि	(हवाई अड्डा, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
18	वल्सला एम.वी. हेड हवलदार	9027	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	हवाई अड्डा, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
19	आनंदा के. हेड हवलदार	9546	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि	हवाई अड्डा, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
20	एम.सावित्री हेड हवलदार	1198	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि	हवाई अड्डा, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
21	वेलायुधन के.आर. हेड हवलदार	1316	हवाई अड्डा, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	के कर एवं के उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड में ही रखा जाता है

2 क्रम संख्या 14,15,16,17,18,19 एवं 20 में सूचित आधिकारियां हवाई अड्डे में एक साल की अवधि के लिए और क्रम सं. 10,11,12 एवं 13 में सूचित आधिकारियां ए सी सी (यू बी) में छः (6) महीनों की अवधि के लिए प्रशासनिक मजबूरियों की आवश्यकता होती है तो पहले उन्हें स्थानांतरित करने का विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तैनात हैं |

3. उपर्युक्त अधिकारियों को अपने कार्यभार से मुक्त किया जाना चाहिए और अपने नए तैनात स्थान पर अपराह्नतन दिनांक **05.11.2021** तक कार्यग्रहण करना चाहिए |

4. किसी भी अधिकारी से उसके तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा ।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **12.11.2021** को मिलनी चाहिए |

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्तियां [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियां के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडलों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. सीमा शुल्क उप /सहायक आयुक्त, हवाई अड्डा, करिपूर / कण्णूर/ ट्रिवेनड्रम
4. सीमा शुल्क उप /सहायक आयुक्त, एसीसी(यूबी), करिपूर
5. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क निवारक/ अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
7. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क निवारक/ अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
8. अधीक्षक (ई डी पी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:22.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 85/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनुसूचित जनजाति श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राकेश कुमार मीना** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **21.10.2021 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री राकेश कुमार मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री राकेश कुमार मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ हरीश जे.)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

.470-

सेवा में,

श्री राकेश कुमार मीना,
सुपुत्र धनी राम मीना,
वी.पी. झारेदा, हिन्दौन सिटी,
करौली, राजस्थान-322230

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:20.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 84/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित/भूतपूर्व सेवा श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जीजोमोन पी.जे.** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **20.10.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री जीजोमोन पी.जे.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री जीजोमोन पी.जे.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.हरीश जे.)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

- 4685

सेवा में,

श्री जीजोमोन पी.जे.,
परम्बी हाउस,
मुरिन्गूर(किन्फ्रा पार्क डाक),
त्रिश्शूर, केरल - 680309

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

-467-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:20.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 83/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.निथुला जी.एस.** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **20.10.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **कु.निथुला जी.एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.निथुला जी.एस.** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.हरीश जे.)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-466-

सेवा में,

कु.निथुला जी.एस.,
निधुवनम,तिरुमंगलम,
पूवार रोड, नेय्याट्टिनकरा,
तिरुवनंतपुरम,केरल - 695121

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:20.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 82/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री डेन्नी जॉर्ज** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **13.10.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री डेन्नी जॉर्ज** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री डेन्नी जॉर्ज** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.हरीश जे.)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-464-

सेवा में,

श्री डेन्नी जॉर्ज,
आनिकोट्टिल हाउस, आवोली डाक,
मुवाट्टुपुया, एर्णाकुलम,
केरल - 686670

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

1 NATION TAX MARKET GST

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:20.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 81/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री निखिल सी.बाबु** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **13.10.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री निखिल सी.बाबु** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री निखिल सी.बाबु** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.हरीश जे.)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-467

सेवा में,

श्री निखिल सी.बाबु,
चोवल्लूर हाउस, पाहमुक्कु रोड,
मुन्डूर डाक, त्रिश्शूर,
केरल - 680541

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

-461

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:20.10.2021

स्थपाना आदेश सं. : 80/2021

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.ऐश्वर्या मैथ्यू** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **13.10.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **कु.ऐश्वर्या मैथ्यू** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.ऐश्वर्या मैथ्यू** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.हरीश जे.)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

-460-

सेवा में,

कु.ऐश्वर्या मैथ्यू,
कुरियनतानत्तु हाउस,
अम्परानिरप्पेल डाक, भरनमगानम,पाला,
कोट्टयम,केरल - 686578

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

459

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**

वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**

राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/3/46/2021-Estt. **दिनांक:12.10.2021**

स्थपाना आदेश सं.: 79/2021

विषय :- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आशुलिपिक ग्रेड - I के कैडर में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 10.09.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/08/2018-Ad.III(B) दिनांक 18.08.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.नर्गिष जहान** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु.35,400- रु.1,12,400) में दिनांक **12.10.2021 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **कु.नर्गिष जहान** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.नर्गिष जहान** विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के द्वौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ टी.टिजु)

आयुक्त

-458-

सेवा में,

कु.नर्गिष जहान ,
सुपुत्री शाहिद हुसैन,
शरीफनगर गाव व डाक,
तहसील - ठाकुरद्वारा, जिला मोरादाबाद,
उत्तर प्रदेश -244601

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक,मुख्यालय/सतर्कता /तकनीकी अनुभाग, मुख्यालय,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.),मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/46/2021-Estt. **दिनांक:12.10.2021**

स्थपाना आदेश सं.: 78/2021

विषय :- आशुलिपिक ग्रेड - I के कैडर में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 10.09.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/08/2018-Ad.III(B) दिनांक 18.08.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.अर्चिता मोहन** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु.35,400- रु.1,12,400) में दिनांक **12.10.2021 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **कु.अर्चिता मोहन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.अर्चिता मोहन** विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.टी टिजु)
आयुक्त

-4156-

सेवा में,

कु.अर्चिता मोहन,
सुपुत्री मोहनन पिल्लै,
हाउस नं.185, ग्रूप -1,
डीडीए जनता फ्लैट्स हस्तसाल,
उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. प्रधान आयुक्त,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक), कोचिन/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
3. अधीक्षक,मुख्यालय/सतर्कता /तकनीकी अनुभाग, मुख्यालय,कोच्चि
4. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), प्रशासन अनुभाग मु. कोचिन
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

-455

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/46/2021-Estt. दिनांक:11.10.2021

स्थपाना आदेश सं.: 77/2021

विषय :- आशुलिपिक ग्रेड - I के कैडर में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 10.09.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/08/2018-Ad.III(B) दिनांक 18.08.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.पुनीत** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु.35,400- रु.1,12,400) में दिनांक **11.10.2021 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **कु.पुनीत** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.पुनीत** विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(डॉ.टी टिजु)
आयुक्त

-454-

सेवा में,

कु.पुनीत,
सुपुत्री जयवीर सिंह,
हाउस नं.2643, न्यू हाउसिंग बोर्ड,
सेक्टर -13, भिवानी,
हरियाणा - 127021

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. प्रधान आयुक्त,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक), कोचिन/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
3. अधीक्षक,मुख्यालय/सतर्कता /तकनीकी अनुभाग, मुख्यालय,कोच्चि
4. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), प्रशासन अनुभाग मु. कोचिन
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

-453

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM /II/3/46/2021-Estt. दिनांक:07.10.2021

स्थपाना आदेश सं.: 76/2021

विषय :- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आशुलिपिक ग्रेड - I के कैडर में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 10.09.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आशुलिपिक ग्रेड - I(अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत चयनित और अनंतिम रूप से सामान्य रिक्ति के विरुद्ध आवंटित) के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/08/2018-Ad.III(B) दिनांक 18.08.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार **श्री ओमकार सिंह** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 [रु.35,400- रु.1,12,400] में दिनांक **07.10.2021 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - I के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री ओमकार सिंह** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री ओमकार सिंह** विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आपकी नियुक्ति केवल अनंतिम/असथाई होगी और अल्पकालिक सूचना पर समाप्त की जा सकती है । नियुक्ति इस मुद्दे पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण निदेशालय (डीओपी एंड टी) के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

(डॉ टी.टिजु)
आयुक्त

-452-

सेवा में,

श्री ओमकार सिंह
सुपुत्र सूरज सिंह,
गाव-नन्हेरा,अखेरा डाक,
तहसील -धमपुर, जिला -बिजनोर,
उत्तर प्रदेश - 246733

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक,मुख्यालय/सतर्कता /तकनीकी अनुभाग, मुख्यालय,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.),मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

-451-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

1 NATION TAX MARKET

सी.सं.II/(39)/72/2021-Estt **दिनांक:07.10.2021**

आदेश सं.: 75/2021

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना - सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-5-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं. (1)	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती) (2)	जन्म तिथि (3)	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय वित्तीय उन्नयन) (4)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि (5)	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड/ पे मैट्रिक्स स्तर (6)
1.	बिनोय कुरियाकोस,अधीक्षक	28.07.1963	तृतीय	19.12.2017	स्तर -10
2.	जिजी एब्रहाम,अधीक्षक	30.05.1973	तृतीय	06.11.2021	स्तर -10
3.	पी.वी.नारायणन,अधीक्षक	08.10.1967	तृतीय	09.02.2022	स्तर -10
4.	बषीर अहमद, अधीक्षक	03.05.1971	तृतीय	06.11.2021	स्तर -10
5.	षिबु पी.के., अधीक्षक	08.05.1969	तृतीय	16.05.2020	स्तर -10
6.	एस.पद्मकुमार, अधीक्षक	06.09.1971	तृतीय	12.02.2022	स्तर -10
7.	विंस्टण आड्रिन, अधीक्षक	23.05.1970	तृतीय	12.01.2022	स्तर -10
8.	उमेश सिम्हन वी.एन., अधीक्षक	16.07.1972	तृतीय	22.02.2022	स्तर -10
9.	रीजा राघवन, अधीक्षक	26.08.1968	तृतीय	08.02.2021	स्तर -10
10.	संतोष टी.एस.,निरीक्षक	20.05.1980	तृतीय	12.04.2021	स्तर -8
11.	षानिमा ए.आर.,निरीक्षक	30.05.1989	प्रथम	28.10.2021	स्तर -8
12.	षिनोज पी.निरीक्षक	17.04.1982	प्रथम	04.11.2021	स्तर -8
13.	भास्करनाथ,निरीक्षक	05.08.1987	प्रथम	14.11.2021	स्तर -8
14.	दीपेश जी.,निरीक्षक	25.04.1984	प्रथम	19.11.2020	स्तर -8
15.	लिजिन जे. कमाल,निरीक्षक	20.04.1980	तृतीय	12.04.2021	स्तर -8
16.	प्रिया के.के.,निरीक्षक	11.12.1979	तृतीय	12.04.2021	स्तर -8

-450-

17.	अरुण कुमार ए विजयन, निरीक्षक	21.08.1986	प्रथम	04.11.2021	स्तर -8
18.	अज़ीब चेन्नत, निरीक्षक	22.03.1980	प्रथम	21.12.2020 **	स्तर -8
19.	सीता गुप्तन, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	30.11.1975	द्वितीय	28.12.2021	स्तर -8
20.	अनिल कुमार पी.वी.,हेड हवलदार	12.05.1970	तृतीय	23.02.2019	स्तर -4
21.	थॉमस जैक्सन, हेड हवलदार	23.04.1973	तृतीय	11.10.2021	स्तर -4
22	वी.सरोजिनी, हेड हवलदार	02.03.1965	तृतीय	28.02.2022	स्तर -4

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थियों को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एम ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारियों के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारियों को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एम ए सी पी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एम ए सी पी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एम ए सी पी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एम ए सी पी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगा या DOP & T का.ज्ञा. सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एम ए सी पी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने ए सी पी योजना(अगस्त 1999) और एम ए सी पी योजना के

तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प

समझा जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने पत्र D.No.62460/US(D)/2010 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा स्पष्ट किया है कि 4 साल को पूरा करने के बाद अधीक्षक (ग्रूप ख)अधिकारियों को प्रदान की गई गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को दिनांक 19.05.2009 के का.ज्ञा. के अनुबंध-1 की पैरा 8.1 के अनुसार उन्नयन के रूप में समझा/देखा जा सकता है तथा उसी को एम ए सी पी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बराबर का समझा जाएगा ।

4.** क्रम सं.18 में सूचित अधिकारी के संबंध में यह कहना है कि आदेश संख्या 46/2021 दिनांक 02.07.2021 के तहत अधिकारी को पूर्व में दिनांक 02.12.2020 से एमएसीपी प्रदान किया गया था | उस तिथि की समीक्षा की गई है और अधिकारी को इस आदेश में उसके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से स्तर 8 में प्रथम एमएसीपी दिया गया है।

5. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अन्वर अली

(अन्वर अली)

अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

6. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन

प्रति

1. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
2. अधीक्षक, गोपनीय /सतर्कता ,कोचिन मुख्यालय /प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) मु.कोच्चि
3. अधीक्षक(ई डी पी) उन से अनुरोध है कि वे एम ए सी पी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
4. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File.No.II(25)/38/2020-ESTT. दिनांक: 07.10.2021

आदेश सं.: 74/2021

विषय : श्री सुब्रमण्यम पोट्टी एस., अधीक्षक के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार सुब्रमण्यम पोट्टी एस., अधीक्षक को सरकारी कर्मचारियों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सभी प्रासंगिक शर्तों पर दिनांक **31.10.2021 अपराह्न** से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से उसके दिनांक 27.07.2021 के आवेदन पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति देने पर आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कृपा है|

2. सुब्रमण्यम पोट्टी एस., अधीक्षक, द्वारा देय सभी राशि, यदि कोई है, नियमानुसार उसके सेवानिवृत्ति लाभ से वसूल किया जाए ।

अन्वर अली

(अन्वर अली टी.पी.)
अपर आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्री सुब्रमण्यम पोट्टी एस.,
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक,
तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय,
(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2.आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील,कोच्चि

प्रतिलिपि

1.सहायक आयुक्त(का.वसत.), तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ)/ सहकारी सोसाइटी से एनओसी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt **दिनांक : 01.10.2021**

आदेश सं.:73/2021 का शुदधि पत्र

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 73/2021, दिनांक 30.09.2021 के पैरा 3 में उल्लिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन को निम्नानुसार बदल दिया जाता है:

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	मुख्यालय निवारक, मुकदमा, जन संपर्क, खेल, जीएसटी कक्ष, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, इडुक्की केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, जीएसटीसेवा केंद्र का पर्यवेक्षण, इस मंडल के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	पी सैंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
2	एस वीरमुतु, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई), समीक्षा (उनके द्वारा निर्णय किए गए मामलों को छोड़कर जिनकी समीक्षा श्री जे. हरीश द्वारा की जाएगी)पेरुम्बावूर एवं चालक्कुडी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, जी एस टी सेवा केंद्रों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	पी सैंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त

		टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।		
3	पी सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	स्थापना, प्रशासन, कार्मिक, सेवोत्तम,भविष्य निधि, सतर्कता, गोपनीय, राजभाषा, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, लेखा, सी पी ग्रामस, त्रिश्शूर एवं काक्कनाड केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, जी एस टी सेवा केंद्रों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
4	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण,तकनीकी, सांख्यिकी, संसद प्रश्न,डीजीएआर एम,आरऍफ़डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, आलुवा एवं एर्णाकुलम केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, जी एस टी सेवा केंद्रों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	एस वीरमुत्तु, संयुक्त आयु	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt दिनांक : 28.09.2021

आदेश सं.:73/2021

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश सं. 60/2021 दिनांक 03.08.2021 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर एवं एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच में कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	मुख्यालय निवारक, मुकदमा, जन संपर्क, खेल, जीएसटी कक्ष, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, इडुक्की केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, जीएसटीसेवा केंद्र का पर्यवेक्षण, इस मंडल के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	पी सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
2	एस वीरमुत्तु, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई), समीक्षा (उनके द्वारा निर्णय किए गए मामलों को छोड़कर जिनकी समीक्षा श्री जे. हरीश द्वारा की जाएगी)पेरुम्बावूर एवं चालक्कुडी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के जी एस टी सेवा केंद्र, न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	पी सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त

		टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |		
3	पी सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	स्थापना, प्रशासन, कार्मिक, सेवोत्तम,भविष्य निधि, सतर्कता, गोपनीय, राजभाषा, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, लेखा, सी पी ग्रामस, त्रिश्शूर एवं काक्कनाड के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के जी एस टी सेवा केंद्र, न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
4	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण,तकनीकी, सांख्यिकी, संसद प्रश्न,डीजीएआर एम,आरऍफ़डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, आलुवा एवं एर्णाकुलम केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के जी एस टी सेवा केंद्र, न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	एस वीरमुत्तु, संयुक्त आयु	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख \|
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु \|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **दिनांक : 28.09.2021**

आदेश सं.:72/2021

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या **62/2021** दिनांक **03.08.2021** के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तन का आदेश दिया जाता है:

2. श्रीमती शांति वी., उप आयुक्त, वर्तमान प्रभारों के अलावा, सांख्यिकी और सिस्टम अनुभागों के प्रभार संभालेंगे, जो वर्तमान में श्रीमती सी.टी.बिंदु, सहायक आयुक्त के पास है | श्रीमती सी.टी.बिंदु, सहायक आयुक्त, वर्तमान प्रभारों के अलावा, समीक्षा अनुभाग का प्रभार संभालेंगे, जो वर्तमान में श्रीमती शांति वी., उप आयुक्त के पास है।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	एस.सुरेश	प्रशासन,का.व सत.,सेवोत्तम,निवारक, मु.मुकदमा एवं राजभाषा कार्यान्वयन	सी.टी. बिंदु	शांती वी.
2	शांती वी.	तकनीकी, संसद प्रश्न, जी एसटी कक्ष, डीजीएआरएम, आरऍफ़डी, सांख्यिकी एवं सिस्टम्स	सी.टी. बिंदु	बीना आर.
3	बीना आर	विधिक, सूचना अधिकार(सीपीआईओ) एवं प्रशिक्षण	एस.सुरेश	डॉली जोसफ
4	सी.टी. बिंदु	न्यायनिर्णयन, समीक्षा,	डॉली जोसफ	बीना आर.

-442-

		बकाया वसूली एवं एसवीएलडीआरएस		
5	डॉली जोसफ	मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार के साथ लेखा परीक्षा	बीना आर.	एस. सुरेश
6	अनिल राज आर	एर्णाकुलम मंडल	महेंदिरा वर्मा आर ए	अजिता पी
7	महेंदिरा वर्मा आर ए	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	अजिता पी
8	अजिता पी	आलुवा मंडल	महेंदिरा वर्मा आर ए	अनिल राज आर
9	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	मनोज कुमार एन	रॉय वर्गीस
10	मनोज कुमार एन	त्रिश्शूर मंडल	माया कुरियन	एन.एस. जयश्री
11	एन. एस. जयश्री	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	अजिता पी.
12	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल	एन. एस. जयश्री	महेंदिरा वर्मा आर ए

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

-441-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-Estt दिनांक:05.10.2021

आदेश सं.:70/2021

विषय : निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) ने केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	रोहित खत्री	4504	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन (सी पी डी केलिकट)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय
2.	कपिल देव सुरीरा	6017	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन (सी पी डी केलिकट)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय
3.	गुरमीत सिंह	2716	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(न्याय निर्णयन अनुभाग)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय,कोच्चि
4.	रवी कुमार	6024	सीसीओ जयपुर में दी गई (ऋण आधार) तैनाती से वापस लाया गया	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(न्यायनिर्णयन अनुभाग)
5.	अमीत खत्री		आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली में दी गई प्रतिनियुक्ति से वापस लाया गया	सीसीओ-सीसीए
6.	अशोक कुमार	8646	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(सूचना	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि

-440-

			अधिकार/प्रशिक्षण अनुभाग)	आयुक्तालय(विधिक अनुभाग)
7.	प्रियंका पुष्पद	6316	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(विधिक अनुभाग)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(बकाया अनुभाग)

2. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक 08.10.2021 तक कार्यग्रहण कर्ण चाहिए |

3. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

4. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग में अब तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को निपटाया गया है।

5. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

6. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

7. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 तक मिलनी चाहिए |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/सीसीपी
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/सी सीपी
8. अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/सीसीपी
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
10. महासचिव, एआईसीजीईओए, केरल सर्किल

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/39/2021-Estt दिनांक: 08.10.2021

आदेश सं.: 69/2021

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि (संवर्ग नियंत्रण अधिकारी) ने केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	मनोज कुमार सी.		सेस्टाट बंगलूरु में दी गयी प्रतिनुक्ति से वापस बुलाया गया	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय
2.	वैद्यरत्नम आर.	2813	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय को स्था हेतु आदेशित	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि
3.	बेलिंडा रिबेल्लो	3402	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय को स्था हेतु आदेशित	कोच्चि में स्थित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय का प्रतिबद्ध विधिक कक्ष
4.	टेस्सी मैथ्यूस	8201	कोच्चि में स्थित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय का प्रतिबद्ध विधिक कक्ष	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय,कोच्चि
5.	गंगा देवी टी.एस.	2505	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय (काक्कनाड मंडल)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय (काक्कनाड रेंज 3)
6.	लता जी.	1136	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय (काक्कनाड रेंज 3)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय (काक्कनाड मंडल)

2. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक 08.10.2021 तक कार्यग्रहण कर्ण चाहिए |

4338-

3. लेखापरीक्षा में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से पहले अधिकारी सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

5. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में अब तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को निपटाया गया है।

6. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

7. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

8. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 तक मिलनी चाहिए |

अन्वर अली

[अन्वर अली टी.पी.]

अपर आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. उप /सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल, कोच्चि
7. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा
9. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा
10. अधीक्षक (ई डी पी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. महासचिव, एआईएएससीटी, केरल इकाई